रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 576] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 2014/कार्तिक 20, 1936
No. 576] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2014/KARTIKA 20, 1936

लोक उद्यम विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2014

सा.का.नि. 787(अ)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उद्योग मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग (समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1999 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है,लोक उद्यम विभाग में बहु-कार्य कर्मचारीवृन्द के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक उद्यम विभाग (बहु-कार्य कर्मचारीवृन्द) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण,वेतन बैंड और वेतनमान में ग्रेड वेतन** -उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति,आयु-सीमा,आदि अर्हताएं आदि**-भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह केअन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात,ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु-कार्य कर्मचारी-वृन्द	33*(2014)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननु-सचिवीय	वेतन बैण्ड-1 5200-20200 रु. +ग्रेड वेतन 1800/-रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच **नोट:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-काश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मैट्रिक या समतुल्य उत्तीर्ण

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।		
(11)		
लागू नहीं होता		

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति:- उप सचिव या निदेशक - **अध्यक्ष** अवर सचिव (प्रशासन) - **सदस्य** अवर सचिव - **सदस्य**	लागू नहीं होता

[फा.सं.ए.-12018/1/2013-प्रशा.]

ज्योति माथुर, अवर सचिव

DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2014

G.S.R. 787(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Ministry of Industry, Department of Public Enterprises (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1999, except as respective things done or omitted to be done before such supersession, the President, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of 'Multi Tasking Staff' in the Department of Public Enterprises, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called Department of Public Enterprises (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, Pay Band and Grade Pay of pay scale.**—(The number of the said post, its classification , pay band and grade pay of pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—(No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who have a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—(Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—(Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Posts.	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.	Whether Selection Post or Non-Seleciton Post.	Age Limit For Direct Recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff.	33*(2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service,Group'C' Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Pay band-1,Rs.5200-20200+Grade Pay of Rs. 1800/-	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining age shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Matriculation or equivalent pass.	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by directrecruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable

If Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:- Deputy Secretary or Director - Chairman Under Secretary(Administration) - Member Under Secretary - Member	Not applicable

[F. No. A-12018/1/2013-Admn.]

JYOTI MATHUR, Under Secy.

4453 GI/14-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3—SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1034—1063

Dated 5-6-99

उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF INDUSTRY

(सरकारी उद्यम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 1999

सा.का.नि. 168.—संविधान के अनुच्छेड 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (1) वित्त मंत्रालय सरकारी उद्यम कार्यालय, रिकार्ड सार्टर भर्ती नियमावली, 1985 तथा (2) उद्योग मंत्रालय, सरकारी उद्यम कार्यालय, पुस्तकालय परिचर भर्ती नियमावली, 1987 को अधिक्रमित करते हुए, इस अधिक्रमण के पूर्व जो चीजें की जा चुकी हैं अथवा जो छूट गई हैं उनको छोड़कर राष्ट्रपति एतद्द्वारा उद्योग मंत्रालय सरकारी उद्यम विभाग में समूह "ग" के पदों पर भर्ती के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों को उद्योग मंत्रालय, सरकारी उद्यम विभाग समूह "ग" के पदों पर भर्ती हेतु नियमावली, 1999 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोग:—इन नियमावलियों का अनुप्रयोग इन नियमावलियों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए किया जाएगा।

3. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान:—कथित पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे जुड़े वेतनमान कथित अनुसूची के कालम 2 से 4 तक के विनिर्देशों के अनुसार होंगे।

4. भर्ती की विधि आयु सीमा, अर्हताएं आदि :—भर्ती की विधि तथा आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबद्ध अन्य मुददे उपरिलिखित अनुसूची के कालम 5 से 14 तक के विनिर्देशों के अनुसार होंगे।

5. अनर्हताएं:—कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा संविदागत विवाह किया हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, अथवा :

(ख) जिसने एक जीवन साथी के जीवित रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह अथवा संविदागत विवाह किया हो, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

किन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और उससे विवाह करने वाले दूसरे पक्ष पर लागू होने वाला स्वीय विधि के अंतर्गत इस प्रकार के विवाह की अनुमति दी जा सकती है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. छूट देने की शक्ति :—जिस मामले में केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि इन नियमों के किसी उपबंध में किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में छूट देना आवश्यक या उचित हो, वहां उसके लिए लिखित रूप में कारण बताकर छूट का आदेश दे सकती है।

7. व्यावृत्ति:— केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए जो आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतें प्रदान की जाती हैं उन पर इन नियमों के कारण किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1586 Industry/99—1

	12
	चालक के ग्रेड में 15 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा की हो और जिन्होंने :— (क) इस उद्देश्य के लिए आयोजित व्यवसाय परीक्षण, जिसका पाठ्यक्रम निम्नलिखित होगा, उत्तीर्ण किया हो :— (i) अंग्रेजी के अंकों एवं आंकड़ों को पढ़ने की योग्यता आवश्यक है ; (ii) यातायात विनियमों का अच्छा ज्ञान आवश्यक है ; (iii) खराबियों को ढूंढ़ पाने तथा मामूली चालू मरम्मत कर पाने की योग्यता आवश्यक है ; (iv) टायरों को बदलने तथा सही ढंग से हवा भर पाने की योग्यता अनिवार्य है । (ख) उपर्युक्त (i) से (iv) के आधार पर प्रायोगिक परीक्षण । टिप्पणी :—यदि पदोन्नति के लिए कनिष्ठ उम्मीदवारों पर विचार किया जा रहा हो तो पदोन्नति के लिए उससे वरिष्ट सभी उम्मीदवारों पर भी विचार किया जाएगा और ऐसा इस तथ्य के बावजूद होगा कि उन्होंने अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी नहीं की हो, बशर्ते कि उन्होंने उस ग्रेड में परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि कोई विभागीय समिति है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
13	14
समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :— (1) निदेशक/उप सचिव सरकारी उद्यम विभाग —अध्यक्ष (2) अवर सचिव सरकारी उद्यम विभाग —सदस्य (3) उप निदेशक सरकारी उद्यम विभाग —सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
2. स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II)	सामान्य ग्रेड में पदधारकों की योग्यता के आधार पर	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अलिपिक-वर्गीय	4000-100-6000 रु.	अचयन पद	नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
3. स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)	2*(1999) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तन संभव	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय)	3050-75-3950-80-4590 रुपए	लागू नहीं	नहीं	25 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिलनीय केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजति के उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष) टिप्पणी–1 : आयु सीमा के निर्धारण की निर्णायक तारीख भारत के उम्मीदवारों के लिए आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (और अंतिम तारीख उन उम्मीदवारों के लिए निर्धारित नहीं होगी जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप प्रभाग तथा अण्डमान एवं निकोबार संघ क्षेत्र अथवा लक्षद्वीप संघ क्षेत्र में रहते हों। टिप्पणी–2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु निर्धारण की तारीख वह होगी जिस तारीख को रोजगार कार्यालयों को उम्मीदवारों को नामित करने के लिए कहा जाएगा ।

8	9	10
अनिवार्य :— (i) मोटर कार के लिए वैध लाइसेंस रखता हो । (ii) मोटर क्रियाविधि का ज्ञान हो (उम्मीदवारों को वाहन की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए) । (iii) मोटर कार चलाने का कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव हो। वांछनीय : (1) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।	लागू नहीं	दो वर्ष

13	14
विभागीय पदोन्नति समिति (संपुष्टि पर विचार के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे :— 1. निदेशक/उप सचिव सरकारी उद्यम विभाग—अध्यक्ष 2. अवर सचिव, सरकारी उद्यम विभाग —सदस्य 3. सरकारी उद्यम विभाग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उप निदेशक/सहायक निदेशक —सदस्य	लागू नहीं।

1	2	3	4	5	6	7
4 पुस्तकालय परिचर	1* (1999) *कार्यभार के के अनुसार परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय	3050-75-3950-80-4590 रुपए	लागू नहीं	लागू नहीं	18—25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिलनीय) (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष तक) टिप्पणी 1 आयु सीमा के निर्धारण की निर्णायक तारीख भारत के उम्मीदवारों के लिए आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी और अंतिम तारीख उन उम्मीदवारों के लिए निर्धारित नहीं होगी जो (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-प्रभाग तथा अण्डमान एवं निकोबार संघ क्षेत्र अथवा लक्षद्वीप संघ क्षेत्र में रहते हों)। टिप्पणी 2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु निर्धारण की तारीख को रोजगार कार्यालयों को उम्मीदवारों को नामित करने के लिए कहा जाएगा।

13	14
समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :— 1. उप सचिव/निदेशक (प्रशासन) सरकारी उद्यम विभाग —अध्यक्ष 2. अवर सचिव, सरकारी उद्यम विभाग —सदस्य 3. उप निदेशक, सरकारी उद्यम विभाग —सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
6. सवार हरकारा	1* (1999) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा (समूह "ग") अराजपत्रित अलिपिक-वर्गीय	3050-75-3950-80-4590 रुपए	लागू नहीं	लागू नहीं	25 वर्षों से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिलनीय) (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष)। टिप्पणी 1. आयु सीमा के निर्धारण की निर्णायक तारीख भारत के उम्मीदवारों के लिए आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (और अंतिम तारीख उन उम्मीदवारों के लिए निर्धारित नहीं होगी जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-प्रभाग तथा अण्डमान एवं निकोबार संघ क्षेत्र अथवा लक्षद्वीप संघ क्षेत्र में रहते हैं। टिप्पणी 2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु निर्धारण की तारीख वह होगी जिस तारीख को रोजगार कार्यालयों को उम्मीदवारों को नामित करने के लिए कहा जाएगा।

13	14
समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति (सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों की संपुष्टि के लिए)	लागू नहीं
1. निदेशक/उप सचिव सरकारी उद्यम विभाग —अध्यक्ष	
2. अवर सचिव, सरकारी उद्यम विभाग —सदस्य	
3. सरकारी उद्यम विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उप निदेशक/सहायक निदेशक —सदस्य	

[संख्या ए-12018/1/98-प्रशासन]

सी. सी. उण्णिकृष्णन, उप सचिव

(Department of Public Enterprises)

New Delhi, the 18th May, 1999

S.R. 168.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of (1) the Ministry of Finance, Bureau of Public Enterprises, Record Sorter Recruitment Rules, 1985 and (2) the Minisrty of Industry, Bureau of Public Enterpises, Library Attendant Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Ministry of Industry, Department of Public Enterprises, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Industry, Department of Public Enterprises Group 'C' posts Recruitment Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and qualification, etc.—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a matriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of he opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
1. Staff Car Driver (Grade I)	1* (1999) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 4500-125-7000

1	2	3	4
Staff Car Driver (Grade II)	Depending upon the eligibility of the incumbent in the ordinary grade.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000

5	6	7
n-Selection	No	Not applicable

8	9	10	11
t applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion

12	13	14
motion : ff Car Driver (ordinary grade) who has endered not less than 9 years regular ervice in the grade, who passes— trade test to be conducted for this purpose, he syllabus of which shall be as follows:— must be able to read English numerals and igures; must have good knowledge of traffic egulations; must be able to locate faults and carry out ninor running repairs; must be able to change and correctly inflate yres; and practical test, based on (i) to (iv) above. te : In case Juniors are considered for romotion, all persons senior to them shall lso be considered for promotion, notwithtanding the fact that they have not completed he requisite qualifying service, provided that ney have successfully completed the probation eriod in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee—comprising of:— 1. Director/Deputy Secretary, Department of Public Enterprises—Chairman 2. Under Secretary, Department of Public Enterprises—Member 3. Deputy Director, Department of Public Enterprises—Member	Not applicable

1	2	3	4
Staff Car Driver Ordinary Grade)	2* (1999) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 3050-75-3950-80-4590/.

8
to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission/Staff Selection Commission/ Competent Authority/Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

12	13	14
On deputation/absorption: From amongst the regular despatch riders (Group 'C') and Group 'D' employees in the Department of Public Enterprises who possess valid driving licence for motor cars on the basis of a driving test to assess their competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of despatch riders on regular basis or regular Group 'D' employees in other ministries of the Central Government, who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column 8. For ex-servicemen on deputation/re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Period of deputation: Period of deputation including the period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations/ departments of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) comprising of:— 1. Director/Deputy Secretary, Department of Public Enterprises—Chairman 2. Under Secretary, Department of Public Enterprises—Member 3. Deputy Director/Assistant Director, Department of Public Enterprises belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes.—Member	Not applicable

1	2	3	4
4. Library Attendant	*1 (1999) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590/-.

1	2	3	4
5. Record Sorter	1* (1999) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590/-

5	6	7
Selection-cum-Seniority	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion

12	13	14
Daftries and Jamadars of Department of Public Enterprises who have rendered six years regular service in the grade and have passed Middle School Standard failing which Peons of Department of Public Enterprises who have rendered eight years regular service in the grade and have passed Middle School Standard.	Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising of:— 1. Deputy Secretary/Director (Administration), Department of Public Enterprises—Chairman 2. Under Secretary, Department of Public Enterprises—Member 3. Deputy Director, Department of Public Enterprises—Member	Not applicable

1	2	3	4
6. Despatch Rider	1* (1999) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service (Group 'C') Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590/-

5	6	7
Not applicable	Not applicable	Not exceeding 25 years (Relaxable for Government servants upto the age of 35 years (40 years in case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates) in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu &

12	13	14
cycle/autorikshaw on the basis of the driving test to assess their competence to drive their vehicle, failing which Group 'D' employees or officials holding the post of Despatch Rider in other Ministries of the Central Government.	of Public Enterprises—Chairman 2. Under Secretary, Department of Public Enterprises—Member 3. Deputy Director/Assistant Director Department of Public Enterprises belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe —Member	Not applicable
Period of deputation:		
Period of deputation/contract, including the period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceeding the appointment in the same or some other organisations/departments of the Central Government, shall ordinarily not exceed 3 years.		

[No. A-12018/2/98-Admn.]

C.C. UNNIKRISHNAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 मई, 1999

सा. का. नि. 169.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा उद्योग मंत्रालय, सरकारी उद्यम विभाग में समूह "घ" के पदों पर भर्ती के तरीकों का विनियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का उद्योग मंत्रालय, सरकारी उद्यम विभाग, (समूह "घ") के पदों पर भर्ती हेतु नियमावली, 1999 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में/ प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगें।

2. अनुप्रयोग :—इन नियमावलियों का अनुप्रयोग नियमावलियों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए किया जाएगा।

3. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान :—कथित पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे जुड़े वेतनमान कथित अनुसूची के कॉलम 2 से 4 तक के विनिर्देशों के अनुसार होंगे।

4. भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :—भर्ती की विधि तथा आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंद्ध अन्य मुददे उपरिलिखित अनुसूची के कॉलम 5 से 14 तक के विनिर्देशों के अनुसार होंगें।

5. चपरासी के रूप में नियुक्त व्यक्तियों का होमगार्ड के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने का उत्तरदायित्व :—इन नियमों में शामिल किसी बात के बावजूद इन नियमों के अंतर्गत चपरासी के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति को, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को छोड़कर, तीन वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, बशर्ते कि होमगार्ड का कमांडेन्ट जनरल प्रशिक्षण की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के कार्य निष्पादन के स्तर को ध्यान में रखते हुए यह अवधि कम करके 2 वर्ष कर दे तथा इसके कारण लिखित रूप में दर्ज करे।

6. अनर्हताएं :—कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा संविदागत विवाह किया हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने एक जीवन साथी के जीवित रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह अथवा संविदागत विवाह किया हो; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

किन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और उससे विवाह करने वाले दूसरे पक्ष पर लागू होने स्वीय विधि के अंतर्गत इस प्रकार के विवाह की अनुमति दी जा सकती है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

क्या विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, इसकी संरचना क्या है।	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श किया है।
13	14
समूह "घ" विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल :— (1) अवर सचिव, सरकारी उद्यम विभाग —अध्यक्ष (2) अनुभाग अधिकारी, सरकारी उद्यम विभाग—सदस्य (3) उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत अन्य विभाग से अनुभाग. अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
2. दफ्तरी	4* (1999) *कार्यभार के आधार पर अलग-अलग	सामान्य केन्द्रीय सेवा (अराजपत्रित) (गैर-लिपिकीय)	2610-60-3150-65-3540/— रुपए	गैर-चयन	नहीं	लागू नहीं

8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

11	12
पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : सरकारी उद्यम विभाग में चपरासी जिसने इस ग्रेड में कम से कम 2 वर्षों की नियमित सेवा की है।

13	14
(1) अवर सचिव, सरकारी उद्यम विभाग ——अध्यक्ष (2) अनुभाग अधिकारी, सरकारी उद्यम विभाग —सदस्य (3) उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत अन्य विभाग से अनुभाग अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
3. कनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर	1* (1999) *कार्यभार के आधार पर अलग-अलग	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "घ" (अराजपत्रित) गैर-लिपिक)	2610-60-3150-65-3540/— रुपए	गैर चयन	नहीं	लागू नहीं

7
पांगी उप-प्रभाग तथा अण्डमान एवं निकोबार संघ क्षेत्र अथवा लक्षद्वीप संघ क्षेत्र में रहते हों)। टिप्पणी 2.—रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु निर्धारण की तारीख वह होगी जिस तारीख को रोजगार कार्यालयों को उम्मीदवारों को नामित करने के लिए कहा जाएगा।

8	9	10
अनिवार्य :— आठवीं कक्षा में उत्तीर्ण वांछित :— होम गार्ड तथा सिविल डिफेंस में आधारभूत तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम। टिप्पणी :—1. अन्यथा युयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी/केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार योग्यताएं शिथिलनीय हैं। टिप्पणी :— 2 यदि चयन के किसी चरण में संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी/केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उक्त समुदाय के अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवार मिल पाने की संभावना नहीं है तो संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी/केन्द्रीय सरकार अनुभव संबंधी योग्यताओं को शिथिल कर सकती है।	लागू नहीं	प्रत्यक्ष भर्ती के लिए 2 वर्ष

11	12
75% प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा तथा 25% आमेलन द्वारा ऐसा न होने की स्थिति में प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा।	आमेलन : भारत सरकार में 2550-55-2660-60-3200/- रुपए के वेतनमान में केन्द्र सरकार के समूह "घ" के कर्मचारी, जिन्होंने इस ग्रेड में कम से कम 5 वर्षों की नियमित सेवा की है तथा जो हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा किसी क्षेत्रीय भाषा को पढ़ने की क्षमता सहित मौलिक साक्षरता भी रखते हों।

8	9	10
कोई शैक्षिणक अर्हता नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष

11	12
प्रत्यक्ष भर्ती अथवा आमेलन द्वारा	केन्द्रीय सरकार में समान अथवा समकक्ष पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के आमेलन द्वारा ।

13	14
(1) अवर सचिव, (प्रशासन) सरकारी उद्यम विभाग ---अध्यक्ष (2) अनुभाग अधिकारी, सरकारी उद्यम विभाग ---सदस्य (3) उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत अन्य विभाग से अनुभाग अधिकारी ---सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
6. सफाई कर्मचारी	3* (1999) *कार्यभार के आधार पर अलग-अलग	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "घ" (अराजपत्रित) (गैर-लिपिकीय)	2550-55-2660-60-3200 रुपए	गैर-चयन	नहीं	25 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिलनीय । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष)। टिप्पणी 1. आयु सीमा के निर्धारण की निर्णायक तारीख भारत के उम्मीदवारों के लिए आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (और अंतिम तारीख उन उम्मीदवारों के लिए निर्धारित नहीं होगी जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-प्रभाग तथा अण्डमान एवं निकोबार संघ क्षेत्र अथवा लक्षद्वीप संघ क्षेत्र में रहते हों)।

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection cum-seniority or Selection by merit	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Senior Peon	3* (1999) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'D' (Non-gazetted) (Non-ministerial)	Rs. 2610-60-3150-65-3540	Non-Selection	No

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications, required for direct recruits
7	8
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption or by re-employment and percentage of posts to be filled by various methods
9	10	11
Not applicable	Not applicable	By promotion

1	2	3	4	5	6
3. Junior Gestetner Operator	1* (1999) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services Group 'D' (Non-Gazetted) (Non-ministerial)	Rs. 2610-60-3150-65-3540	Non-selection	No

7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable

10	11
Not applicable	By promotion

12	13	14
Daftry/Senior Peon who has rendered two years' regular service in the grade and has proficiency in operating and maintaining gestetner machines.	(1) Under Secretary (Administration), Department of Public Enterprises—Chairman (2) Section Officer, Department of Public Enterprises—Member (3) Section Officer from other Department under the Ministry of Industry—Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6
4. Peon	21* (1999) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 2550-55-2660-60-3200/-	Not applicable	No

7	8
Upto 25 years (relaxable for government servants upto 35 years. 45 years in case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates) in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the	Essential—Middle School Standard pass. Desirable—Training in 'Basic' and 'Refresher' course in Home Guards and Civil Defence. Note : 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission/Staff Selection Commission/Competent Authority/Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note : 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission/Staff Selection Commission/Competent Authority/Central Government in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union

7	8
Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep). Note : 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchanges shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to nominate candidates.	

9	10	11
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment or by absorption.

12	13	14
By absorption of persons holding similar or equivalent posts in the Central Government.	(1) Under Secretary (Administration), Department of Public Enterprises —Chairman. (2) Section Officer, Department of Public Enterprises—Member. (3) Section Officer from other Department under the Ministry of Industry —Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
6. Sweeper	*3 (1999) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'D' (Non-Gazetted) Non-Ministerial.	Rs. 2550-55-2660-60-3200.	Non-Selection.	No

7	8
Upto 25 years. (Relaxable for government servants upto 35 years. 45 years in case of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).	No educational qualifications.